उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ, नैनीताल

उपस्थितः माननीय श्री राजेन्द्र सिंह

.....उपाध्यक्ष (न्यायिक)

याचिका संख्या 164/एन0बी0/एस0बी0/2022

अरविन्द कुमार (पुरूष) आयु 47 वर्ष, पुत्र श्री सुरेश पाल सिंह, वर्तमान पोस्टिंग में थाना प्रभारी, रिखणी खाल, जिला पौढ़ी गढ़वाल।

.....याची

नाम

1. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा गृह सचिव, सचिवालय, देहरादून।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस हेड क्वाटर, देहरादून।
3. पुलिस उप महानिरीक्षक, कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला उधम सिंह नगर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थितिः श्री अनिल कुमार जोशी, रूचिता काण्डपाल, याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्तागण।
श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।

निर्णय

दिनांक मई 17, 2023

प्रस्तुत याचिका में याचीकर्ता द्वारा निम्न अनुतोष चाहे गये हैं–

1. विपक्षी सं0 4 द्वारा पारित परिनिन्दा प्रविष्टि 16.06.2022 एवं विपक्षी सं0 3 द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 26.09.2022 को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत की है।
2. अन्य उपचार जो मामले की परिस्थितयों के अनुरूप माननीय अधिकरण उचित समझे।
3. याचिका का खर्च याची को दिलाने हेतु आदेश।

2. संक्षेप में याचीकर्ता का कथन है कि याची वर्ष 2020 में थानाध्यक्ष के पद पर थाना गदरपुर जिला उधमसिंह नगर में नियुक्त था। दिसम्बर, 2020 में गरदपुर थाने की चौकी महतोश में एक शिकायती पत्र श्रीमती जसबीर कौर द्वारा दिया गया जिसमें प्रार्थी की पुत्री से 7 माह पूर्व अपहरण कर जबरन विवाह कर, बलात्कार करने एवं गर्भपात करने व अन्य पारिवारिक विवाद हेतु दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन चौकी प्रभारी, उपनिरीक्षक अनिल चौहान द्वारा प्रार्थना पत्र अवलोकन करने के बाद शिकायती प्रार्थना पत्र काउन्सिलिंग हेतु महिला हेल्प लाइन रूद्रपुर को

प्रेषित किया गया। इसी सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र श्रीमती जसबीर कौर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दिनांक 14.12.2020 को प्रेषित किया गया जो जांच हेतु थाना गदरपुर को, 7 दिन में रिर्पोट प्रेषित करने हेतु भेजा गया, जिसे याची द्वारा दिनांक 26.12.2020 को चौकी प्रभारी महतोश को जांच एंव रिपोर्ट हेतु प्रेषित किया गया। चौकी प्रभारी महतोश द्वारा तथ्यों की जाँच कर दिनांक 18.01.2021 को अपनी जांच रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की गयी तथा यह कहा गया कि उक्त प्रकरण पारिवारिक विवाद होने के कारण काउन्सिलिंग हेतु महिला हेल्प लाइन को प्रेषित किया जा चुका है तथा शेष लगाये गये आरोप निराधार पाये गये है । उक्त सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उक्त प्रकरण में महिला हेल्प लाइन द्वारा काउन्सिलिंग हेतु सम्बन्धित पक्षों को बुलाया गया तथा महिला हेल्प लाइन द्वारा एक रिपोर्ट दिनांक 29.01.2021 को प्रेषित की गयी जिसमें यह अवधारित किया गया कि पक्षकारों में आपस में समझौता हो गया है अतः उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही समाप्त की जाती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि महिला हेल्प लाइन के शिकायतकर्ता द्वारा सन्तुष्ट होकर यह कथन किया गया कि शिकायतकर्ता की पुत्री की शादी उनकी रजामन्दी से दिनांक 27.03.2020 को गुरुद्वारे में हुयी थी तथा शिकायतकर्ता की पुत्री और गुरविन्दर एक दूसरे को पसन्द करते थे। तत्पश्चात शिकायतकर्ता जसबीर कौर द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें उसके द्वारा यह कथन किया गया कि उसके द्वारा घटना की सूचना थाना गदरपुर में दी गयी लेकिन थाना गदरपुर द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी जिस पर प्रार्थिनी ने उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक 01.03.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की गयी परन्तु उनके द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 03.05.2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिये गये, जिस पर थाना गदरपुर द्वारा एफ.आई.आर. सं0 18/2021 अन्तर्गत धारा 313/366/376/120 बी व 5/6 पोक्सो पंजीकृत किया गया।

3. दिनांक 06.05.2021 को वरिष्ठ महानिरीक्षक कुमाऊं क्षेत्र द्वारा एक पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया गया जिसमें थाने द्वारा रिपोर्ट दर्ज न करने और न्यायालय के आदेश के उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के सम्बन्ध में जांच करने हेतु आदेशित किया। उक्त के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक अपराध को जांच अधिकारी नामित किया जिसके द्वारा अपनी रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की गयी तथा उसके उपरान्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एक कारण बताओं नोटिस दिनांक 04.09.2021 याची को जारी किया गया जिसमें याची को आदेशित किया कि वह अपना स्पष्टीकरण दें कि क्यों न उनके विरूद्ध परिनिन्दा की टिप्पणी अंकित कर दी जाय। याची द्वारा उक्त कारण बताओं नोटिस के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण दिनांक 20.10.2021 को प्रेषित किया तथा अपने ऊपर लगाये गये आरापों को अस्वीकार किया गया। याची द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को बिना गहनता से अध्ययन किये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 16.6.2022 को दंण्डादेश पारित किया जिसके विरूद्ध याची द्वारा

अपील पुलिस उपमहानिरीक्षक को प्रेषित की गयी जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26.09.2022 को अस्वीकृत कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर तत्कालीन चौकी प्रभारी महतोश द्वारा शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र महिला हेल्प लाइन को प्रेषित किया गया तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के पत्र सं0 23.12.2020 के क्रम में अपनी जांच आख्या दिनांक 18.01.2021 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की गयी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त रिपोर्ट दिनांक 18.01.2021 के आधार पर कोई भी कार्यवाही करने के लिए आदेशित नहीं किया गया। अतः याची को किसी भी दशा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। महिला हेल्प लाइन द्वारा अपनी रिपार्ट दिनांक 29.01.2021 की कार्यवाही आपसी समझौते के आधार पर समाप्त की गयी चूंकि महिला हेल्प लाइन की रिपार्ट आने से पूर्व ही याची का दिनांक 21.01.2021 को स्थानान्तरण हो गया था इसलिए भी याची को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) में थाने में सूचना दिये जाने की किसी भी तिथि का उल्लेख नहीं है अपितु यह उल्लेख है कि शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 01.03.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को रिपार्ट दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया परन्तु रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। चूंकि याची दिनांक 21.01.2021 को थाना गदरपुर से स्थानान्तरित हो चुका था इसलिए याची का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं बनता है। इस संदर्भ में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में यह प्रावधानित किया गया है कि यदि थाना प्रभारी द्वारा सूचना दिये जाने पर सूचना दर्ज नहीं की जाती है तो पुलिस अधीक्षक को सूचना दिये जाने पर पुलिस अधीक्षक यदि यह पाता है कि कोई संज्ञेय अपराध कारित हुआ है तो वह या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को विवेचना हेतु आदेशित करेगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मामले की सूचना दिनांक 01.03.2021 को दी गयी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। चूंकि याची पूर्व में स्थानान्तरित हो चुका था इसलिए याची को किसी भी रूप में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 18.01.2021 को प्रेषित रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है। याचिका के बिन्दु सं0 4.3 का कोई खंडन लिखित कथन में नहीं किया गया है।

4. दण्डादेश पारित करते समय इस तथ्य का संज्ञान नहीं लिया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा कहीं भी अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) कही भी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वह किस तिथि को थाना गदरपुर में अपराध की सूचना देने आयी थी याची द्वारा परिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजे गये आदेश दिनांक 23.12.2020 के अनुपालन में त्वरित कार्यवाही की गयी तथा चौकी प्रभारी महतोश को तुरन्त जाँच करने हेतु निर्देशित किया जिसके द्वारा जांचोपरान्त अपनी जांच आख्या दिनांक 18.01.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित की गयी जिस पर कोई भी अन्य कार्यवाही करने का आदेश नहीं दिया गया तथा महिला

हेल्प लाईन द्वारा भी समझौते के आधार पर कार्यवाही समाप्त की गयी। अतः निवेदन है कि याची के विरुद्ध पारित दण्डादेश पूर्णतः गलत एवं विधि विरुद्ध है तथा याची को किसी भी दशा में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। याची प्रार्थना करता है कि याची के विरूद्ध पारित दण्डादेशों को निरस्त करने की कृपा करें।

5. जबकि उत्तरदाता गण की ओर से याचीकर्ता की याचिका के कथनों का खण्डन करने हेतु बतौर प्रतिवाद पत्र श्री रेवाधर मठपाल क्षेत्राधिकारी कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंह नगर द्वारा प्रतिशपथ पत्र संक्षेप में इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि याचिका में याची द्वारा लिखे गये समस्त प्रस्तर असवीकार है एवं केवल वही प्रस्तर जो अभिलेखों पर आधारित है स्वीकार हैं।

6. याची वर्ष 2020 में जब थाना गदरपुर जनपद उधमसिंहनगर में धानाध्यक्ष के पद पर नियुक्त था तो श्रीमती जसवीर कौर ने अपनी नाबालिग पुत्री गुरुनीत कौर को गुरविन्दर सिंह आदि द्वारा बहला फुसलाकर अगवा करके जबरन गुरद्वारे में शादी करने आये दिन मारपीट करके गर्भपात करने इत्यादि आरोपों के संबंध में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिसम्बर, 2020 को चौकी महतोष के माध्यम से इनको प्रेषित किया गया। उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र पर तत्समय कोई विधिक कार्यवाही न की गयी जिस कारण न्यायालय द्वारा धारा 156(3) द0प्र0स0 के अन्तर्गत मामले में अभियोग पंजीकृत करने के आदेश निर्गत किये जाने पर थाना गदरपुर में मु0अ0सं0–118/2021 धारा 313, 366, 376, 120बी, भा०द०वि० व 5/6 पॉक्सो अधिनियम पंजिकृत किया गया तथा तमामी विवेचना से विवेचक/उप निरीक्षक सुरभि बौडाई द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध 5/6 पॉक्सो अधिनियम 9 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 16/17 पॉक्सो अधिनियम व 10 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में आरोप पत्र संख्या 185/2021 दिनांक 02–07–2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। उक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्तों की सुरागरसि पतारसि जारी रखते हुए पार्ट पेंडिग विवेचना जारी रखी गयी इसके द्वारा थाना प्रभारी जैसे जिम्मेदार पद पर नियुक्त रहते हुए ऐसे संवेदनशील एवं जघन्य मामलों को गम्भीरता से न लेकर शिकायती प्रार्थना पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना गदरपुर माध्यम से महिला हेल्प लाईन रुद्रपुर प्रेषित कर दिया गया जो इनकी कार्य प्रणाली पर एक गम्भीर प्रश्न चिन्ह है प्रश्नगत प्रकरण में प्रचलित की गयी जांच के दौरान इनको प्रकरण की संवेदनशीलता को न देखते हुए नाबालिग के प्रकरण में तत्समय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न कराने का दोषी पाया गया।

7. प्रश्नगत प्रकरण की प्रारम्भिक जांच श्री मिथिलेश सिंह पुलिस अधीक्षक अपराध जनपद ऊधमसिंहनगर द्वारा करायी गयी प्रारम्भिक जांच से आवेदिका श्रीमती जसवीर कौर द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री गुरनीत कौर को विपक्षी गुरविन्दर सिंह आदि द्वारा बहला फुसला कर जबरन गुरूद्वारे में शादी करने, आये दिन मारपीट करने गर्भपात करा देने संबंधित आदि कथित आरोपों के सम्बन्ध में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिसम्बर, 2020 को चौकी महतोष थाना गदरपुर में आवश्यक कार्यवाही

हेतु दिये जाने तथा शिकायती प्रार्थना पत्र की प्रति पुलिस कार्यालय रुद्रपुर से भी थाना गदरपुर को प्राप्त होने के बावजूद भी थानाध्यक्ष गदरपुर श्री अरविन्द चौधरी व प्रभारी चौकी महतोष उप निरीक्षक अनिल चौहान द्वारा प्रकरण की गम्भीरता, संवेदनशीलता को देखते हुये तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नही करायी गयी आवेदिका द्वारा माननीय न्यायालय में दिये गये अपने शिकायती प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायालय द्वारा एफ0आई0आर पंजीकृत कराने के आदेश पारित किये गये। जिस पर थाना गदरपुर पर मु0अ0सं0–118/2021 धारा 313, 366, 376, 120बी, भा0द0वि0 व 5/6 पॉक्सो अधिनियम का अभियोग धारा 156(3) द०प्र०सं० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया सम्पूर्ण जांच से तत्कालीन थाना अधीक्षक गदरपुर उप निरीक्षक अरविन्द कुमार व चौकी प्रभारी, महतोष उप निरीक्षक अनिल चौहान द्वारा प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए नाबालिग के प्रकारण में भी तत्समय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने का दोषी पाया जाता है। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक अपराध जनपद उधमसिंहनगर द्वारा संपादित जांच आख्या दिनांक 31–07–2021 में उपलब्ध अभिलेखों की गहन सन्निरीक्षा एवं गहनता से अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 04–09–2021 के द्वारा कारण नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना स्ष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया जिसके प्रतिउत्तर में उप निरीक्षक द्वारा अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 22–10–2021 को उपलब्ध कराया गया। याचीकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों/तर्कों के सम्बन्ध में सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं स्पष्टीकरण आदि का प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा गहनता एवं गम्भीरता से अध्ययन कर मनन किया गया। आरोपी उप निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों का अवलोकन एवं परिशीलन करने पर याची उपनिरीक्षक के स्पष्टीकरण में कोई बल न होने के कारण, सन्तोषजनक नहीं पाया गया है।

8. अतः सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रकरण की गहन सन्निरीक्षा के उपरान्त एतद्वारा उत्तराखण्ड [उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधि0/कर्म० की (दण्ड एवं अपील) नियमावली– 1991] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के नियम–14(2) की विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 के प्रस्तर–23 (2) (बी) में निहित प्राविधानों के अनुसार परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया उसकी प्रविष्टि याची की चरित्र पंजिका में अंकित किया गया। उक्त प्रकरण में याचीकर्ता द्वारा दण्डादेश संख्या द–71/2021 दिनांक 16–06–2022 प्रदान की गयी ''परिनिन्दा प्रविष्टि'' के दण्डादेश के विरूद्ध याची उप निरीक्षक ना०पु० श्री अरविन्द कुमार द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक कुमायूँ परिक्षेत्र नैनीताल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। पुलिस उप महानिरीक्षक कुमायूं परिक्षेत्र नैनीताल द्वारा अपील को सुनवाई के उपरान्त अपील को बलहीन पाते हुये अपने आदेश पत्रांक संख्या सीओके 150 (17)/2022 दिनांक 26–09–2022 के माध्यम से अपीलार्थी याचीकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को अस्वीकृत करते हुये, उपरोक्त ''परिनिन्दा प्रविष्टि'' को यथावत बनाये रखने के आदेश पारित किये गये। याची के विरूद्ध

नियमानुसार जांच करने के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर ही कार्यवाही की गयी है। याची पर लगाये गये आरोप पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं जांच से पूर्णतः प्रमाणित होते है।

9. याचीकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों/तर्कों के सम्बन्ध में सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं स्पष्टीकरण आदि का प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा गहनता एवं गम्भीरता से अध्ययन कर मनन किया गया। आरोपी उप निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों का अवलोकन एवं परिशीलन करने पर आरोपी उपनिरीक्षक के स्पष्टीकरण में कोई बल नही है जो सन्तोषजनक नही पाया गया है। अतः सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रकरण की गहन सन्निरीक्षा के उपरान्त एतद्वारा उत्तराखण्ड [उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधि०/कर्म० की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के नियम–14 (2) की विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 के प्रस्तर–23(2)(बी) में निहित प्राविधानों के अनुसार निम्नांकित परिनिन्दा प्रविष्टि आरोपी उ0नि० ना०पु० अरविन्द कुमार की चरित्र पंजिका में अंकित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। याचीकर्ता के द्वारा योजित की गयी वर्तमान याचिका अस्तय एवं भ्रामक तथ्यों पर आधारित है, जिस कारण उक्त याचिका खारिज होने योग्य है। अतः मा0 न्यायाधिकरण से अनुरोध है कि उक्त याचिका को शासन/विभाग के पक्ष में खारिज /निरस्त करने का कष्ट करें।

10. मैंने याचीकर्ता एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

11. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि श्रीमती जसबीर कौर द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र गुरविन्दर सिंह आदि के विरूद्ध अपनी नाबालिग पुत्री गुरनीत कौर को बहला–फुसलाकर अगवा कर जबरन गुरूद्वारे में शादी करने व उसके साथ बलात्कार करने एवं गर्भपात कराने आदि के आरोपों के साथ थाना गदरपुर में दिसम्बर, 2020 में दिया गया लेकिन थाना गदरपुर एवं उसके अन्तर्गत पुलिस चौकी महतोष में प्रार्थिनी शिकायतकर्ता की शिकायत दर्ज नहीं की गयी, जिसके बाद प्रार्थिनी श्रीमती जसबीर कौर द्वारा एक प्रार्थना पत्र समान आधारों के साथ वरिष्ट पुलिस अधीक्षक रूदपुर उधमसिंहनगर को दिया गया जो पत्रावली पर संलग्नक–4 है और जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, द्वारा थाना प्रभारी गदरपुर को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर अन्दर 7 दिन में रिपोर्ट देने हेतु आदेशित किया गया था, इसके बावजूद भी संबंधित थाना गदरपुर एवं उसके अन्तर्गत पुलिस चौकी महतोष पर प्रार्थिनी के शिकायती प्रार्थनापत्र पर मामला पंजीकृत नहीं किया गया, जिसके पश्चात प्रार्थिनी श्रीमती जसबीर कौर द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्द प्रक्रिया संहिता संबंधित न्यायालय में दिया गया और न्यायालय के आदेश पर थाना गदरपुर में मामला पंजीकृत किया गया जिसके संबंध में पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखण्ड देहरादून के संज्ञान में मामला आने पर उनके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर

को प्रश्नगत प्रकरण थाना गदरपुर में अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत होने पर प्रकरण काफी पुराना देखते हुए जांच कार्यवाही के लिए पत्र लिखा गया और इसकी प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र को प्रेषित की गई, जिनके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर को उक्त प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत करने के संबंध में किसी अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से जांच करवाकर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कृत्य कार्यवाही से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया जैसा कि पत्रावली पर संलग्न 9 से स्पष्ट है और जिसके पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर द्वारा पुलिस अधीक्षक अपराध उधमसिंहनगर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और जिनके द्वारा सम्पूर्ण जांच में तत्कालीन थानाध्यक्ष गदरपुर उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार व चौकी प्रभारी महतोष उपनिरीक्षक अनिल चौहान को मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने हेतु दोषी पाया।

12. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि दौराने जांच उपनिरीक्षक अनिल कुमार द्वारा अपने बयान में जांच अधिकारी को यह बयान दिया गया कि ‘‘**मैं दिनांक 29.08.2020 से थाना गदरपुर में नियुक्त हूं तथा थाने में नियुक्ति से अब तक जसबीर कौर पत्नी दानसिंह निवासी बरीराई नारायणपुर दोहरिया कभी भी कोई शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर मेरे पास अथवा उस हल्के में नियुक्त किसी भी कर्मचारी के पास नहीं आई। माह दिसम्बर, 2020 में पुलिस कार्यालय शिकायत प्रकोष्ठ से उक्त महिला का एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जो जांच हेतु मुझे मिला था मामला पारिवारिक विवाद से संबंधित होने के कारण तत्कालीन थानाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार काउंसलिंग के लिए महिला एवं बाल हैल्प लाईन रूदपुर को प्रेषित कर दिय गया था**’’।

13. उक्त गवाह के उक्त बयानात पूरी तरह अविश्वसनीय है जिसमें इनके द्वारा श्रीमती जसबीर कौर द्वारा कोई शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर मेरे पास व किसी भी हल्के में किसी भी कर्मचारी के पास आने से इन्कार किया गया, जबकि उपनिरीक्षक अनिल चौहान द्वारा एक प्रार्थना पत्र महिला हैल्पलाईन रूद्रपुर में दिनांक 22.12.2020 को इस आशय का प्रेषित किया गया कि ‘‘**जसबीर कौर पत्नी सरदार दानसिंह निवासी बरीराई नारायणपुर दोहरिया गदरपुर उधमसिंहनगर ने पुलिस थाना हाजा आकर एक किता तहरीर बावत प्रार्थिनी की पुत्री के पति गुरविन्दर सिंह, भाभी संदीप कौर, मां सरजीत कौर, द्वारा प्रार्थिनी की पुत्री के साथ गाली गलौच व मारपीट करने का दिया गया**’’। उक्त प्रार्थना पत्र पत्रावली पर कागज सं0 53 है जो दिनांक 22.12.2020 को उपनिरीक्षक अनिल चौहान द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया और जिसे तत्कालीन थानाध्यक्ष याचीकर्ता द्वारा भी दिनांक 22.12.2020 को समिट किया गया जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर के कार्यालय से जो शिकायती प्रार्थना पत्र पृष्ठांकित करके थानाध्यक्ष गदरपुर को भेजा गया वह दिनांक 23.12.2020 को भेजा गया है।

14. अब जहां तक याचीकर्ता को प्रार्थिनी के उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र के संदर्भ में मामला पंजीकृत नहीं करने का दोषी ठहराये जाने का प्रश्न है, के संबंध में शिकायतकर्ता का प्रार्थनापत्र कागज सं0 40 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायती प्रार्थना पत्र के तीसरी पंक्ति से ही शिकायतकर्ता द्वारा यह उल्लिखित किया गया है ''दिनांक 17.03.2020 को प्रार्थिनी की पुत्री गुरनीत कौर इन्टर कालेज गदरपुर में 12वीं की परीक्षा देने गयी थी जिसकी जन्मतिथि 24.08. 2003 है ''। आगे शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती प्रार्थना पत्र के प्रथम पैरा के अन्तिम पक्तियों में व द्वितीय पैरा के प्रारम्भ में यह भी उल्लिखित किया गया है कि **''प्रार्थिनी की पुत्री को गुरविन्दर सिंह, सुखचैन सिंह, मलकीत सिंह व सरजीत कौर एंव संदीप कौर द्वारा आये दिन मारपीट करने लगे व शारीरिक तौर पर गुरविन्दर प्रताड़ित करने लगा था जबरन बलात्कार करता व शरीर पर दांत से काटता जिससे प्रार्थिनी की पुत्री को अत्यधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती। माह जून, 2020 में गर्भ ठहर गया जिस पर गुरविन्दर सिंह द्वारा जबरन बलात्कार करने पर रक्तस्राव होने पर उसका ईलाज नहीं कराया गया**''।

15. प्रार्थिनी के उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि प्रार्थिनी द्वारा अपनी पुत्री गुरनीत कौर के नाबालिग होने व उसकी जन्मतिथि 24.8.2003 होना अकिंत किया गया था तथा उसकी जबरन गुरूद्वारे में शादी करना, बलात्कार करना एवं गर्भपात करवाने जैसे आरोप लगाये गये, के बावजूद याचीकर्ता तत्कालीन थानाध्यक्ष गदरपुर द्वारा उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र को थाना हाजा में पंजीकृत न करते हुए पुलिस चौकी महतोष प्रेषित किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि याचीकर्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किए बिना ही प्रार्थना पत्र जांच हेतु उपनिरीक्षक अनिल चौहान पुलिस चौकी महतोष को भेजा गया अन्यथा नाबालिग बालिका की अवस्था को देखते हुए और उसका जबरन विवाह करने और उसके साथ बलात्कार आदि जधन्य अपराध कारित करने की गम्भीरता को देखत हुए मामला पंजीकृत किया जाना चाहिए था लेकिन याचीकर्ता द्वारा थानाध्यक्ष जैसे जिम्मेदार दायित्व से बचने के लिए, मामला संबंधित चौकी को प्रेषित किया गया जिससे जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच में याचीकर्ता द्वारा प्रकरण में संवेदनशीलता को न देखते हुए नाबालिग के प्रकरण को तत्समय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का दोषी पाया गया और जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर द्वारा याचीकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिसका स्पष्टीकरण याचीकर्ता द्वारा दिया गया लेकिन याचीकर्ता का स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने के कारण एवं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए याचीकर्ता को अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, विवेकहीनता, अर्कमण्यता, अनुशासनहीता एवं स्वैच्छाचारिता का द्योतक पाते हुए उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 23(2)(ख) एवं उत्तराखण्ड [उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एंव अपील) नियमावली 1991] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के नियम 14(2) के अन्तर्गत चरित्र पंजिका में घोर परिनिन्दा प्रविष्टि दर्ज किये जाने हेतु दिनांक 16.06.2022 को आदेश पारित किया गया और जिसकी विभागीय अपील याचीकर्ता

द्वारा पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल के समक्ष प्रस्तुत की गयी और जिनके द्वारा भी याचीकर्ता को शिकायतकर्ता के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से मा0 न्यायालय के आदेश पर दर्ज किये जाने हेतु जो घोर परिनिन्दा प्रविष्टि दी गयी, को सही पाते हुए अपील निरस्त की गयी। ऐसी स्थिति में उपरोक्त परिस्थितियों से स्पष्ट है कि याचीकर्ता द्वारा नाबालिग बालिका के साथ हुए जघन्य अपराध के प्रति संवेदनशीलता न दिखाते हुए घोर लापरवाही कारित की गयी, तदनुसार विपक्षीगण संख्या 4 व 3 द्वारा याचीकर्ता के विरूद्ध पारित उपरोक्त लघू दण्ड आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि नही है। अतः याचीकर्ता की याचिका निरस्त होने योग्य है।

आदेश

याचीकर्ता की याचिका निरस्त की जाती है। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकार वाद व्यय अपना–अपना वहन करेंगे।

दिनांकः मई 17, 2023
देहरादून।

(राजेन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष (न्यायिक)